लोक सभा

कार्य-सूची

बुधवार, 16 सितम्बर, 2020/ 25 भाद्रपद, 1942 (शक)

अपराह्न 3 बजे

---

1. मंगलवार, 15 सितम्बर, 2020 की पुनरीक्षित कार्य-सूची में शामिल सरकारी कार्य की किसी ऐसी मद, जिसका निपटान उस दिन न हुआ हो, पर विचार करना।

सांविधिक संकल्प

*2. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
श्री मनीश तिवारी
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
प्रो. सौगत राय
श्री अधीर रंजन चौधरी
श्री जसबीर सिंह गिल
श्री विनायक भाऊ राउत
श्री संतोख सिंह चौधरी
श्री पी.आर.नटराजन
श्री अमर सिंह
श्री कोडिकुन्नील सुरेश
श्री बैन्नी बेहनन
एडवोकेट ए.एम.आरिफ निम्नलिखित संकल्प पेश करेंगे:-

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, 2020 को प्रख्यापित कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 10) का निरनुमोदन करती है।"

---

* मद संख्या 2 और 3 एक साथ ली जाएंगी।

विधायी कार्य

विचार तथा पारित किए जाने के लिए विधेयक

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020

*3. **श्री नरेन्द्र सिंह तोमर** प्रस्ताव करेंगे कि ऐसे पारिस्थितिक तंत्र के सृजन का वहां, जहां कृषक और व्यापारी, ऐसी कृषक उपज के, विक्रय और क्रय संबंधी चयन की स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं, जो प्रतिस्पर्धात्मक वैकल्पिक व्यापारिक चैनलों के माध्यम से लाभकारी कीमतों को सुकर बनाता है, का उपबंध करने के लिए; बाजारों के भौतिक परिसर या विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार संबंधी विधानों के अधीन अधिसूचित समझे गए बाजारों के बाहर कृषक उपज का दक्ष, पारदर्शी और निर्बाध अंतराज्यिक और अंतःराज्यिक व्यापार और वाणिज्य के संवर्धन के लिए; इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए सुसाध्य ढांचे का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।

यह प्रस्ताव भी करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए ।

---

* मद संख्या 2 और 3 एक साथ ली जाएंगी।

सांविधिक संकल्प

#4. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
एडवोकेट डीन कुरियाकोस
प्रो. सौगत राय
श्री अधीर रंजन चौधरी
श्री मनीश तिवारी
श्री जसबीर सिंह गिल
श्री विनायक भाऊ राउत
श्री संतोख सिंह चौधरी
श्री अमर सिंह
श्री कोडिकुन्नील सुरेश
श्री बैन्नी बेहनन निम्नलिखित संकल्प पेश करेंगे:-

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, 2020 को प्रख्यापित कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 11) का निरनुमोदन करती है।"

विधायी कार्य

विचार तथा पारित किए जाने के लिए विधेयक

कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020

#5. **श्री नरेन्द्र सिंह तोमर** प्रस्ताव करेंगे कि ऐसे कृषि करारों पर जो निष्पक्ष और पारदर्शी रीति में पारस्परिक रूप से सहमत लाभकारी कीमत रूपरेखा पर कृषि सेवाओं और भावी कृषि उत्पादों के विक्रय के लिए कृषि-कारबार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़ी संख्या में फुटकर विक्रेताओं के साथ कृषकों का संरक्षण और उनको सशक्त करते हैं, राष्ट्रीय रूपरेखा का तथा इससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।

यह प्रस्ताव भी करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए ।

नई दिल्ली-; स्नेहलता श्रीवास्तव

14 सितम्बर, 2020 महासचिव

23 भाद्रपद, 1942 (शक)

मद संख्या 4 और 5 एक साथ ली जाएंगी।